विविध बैंक प्रकरण सं0 68/2020 (RCMS 2020/00190) पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्रीगंगानगर श्री गुरूनानक गर्ल्स सी. सै. स्कूल, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी <u>बनाम</u> 1 मैसर्स एस.के.इन्टीरियर–प्रो. श्रीकान्त जांगिड पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड 2. श्रीमती सुलोचना जांगिड़ पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड 3. श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड पु. श्री प्राणमल जांगिड निवासी गली नं. 3, गणपति नगर, श्रीगंगानगर (राज.)–335001 4. श्री प्रकाश जांगिड पुत्र श्री रामचन्द्र जांगिड़ निवासी 7 जी 18 ए जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

<u>03.03.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सीताराम बिश्नोई उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स एस के इन्टीरियर –प्रो. श्रीकान्त जांगिड, सुलोचना जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को ऋण सुविधा के रूप में 24/– लाख रूपये (अखरे रूपये चौबिस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 07.11.2014 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **सुलोचना जांगिड** की सम्पत्ति प्लॉट नं. 3 व 4 (35′ गुणा 54′), गणपति नगर, चक 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3, श्रीगंगानगर में स्थित प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 30.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को 25,07,761/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 23.07.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया और अप्रार्थीगण की व्यक्तिगत तामील भी करवाई गई। इसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीग्ण ऋणियों को धारा 13(2) के हस्ताक्षरयुक्त नोटिस भी पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी **सुलोचना जांगिड** की सम्पत्ति प्लॉट नं. 3 व 4 (35' गुणा 54'), गणपति नगर, चक 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3, श्रीगंगानगर के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स एस के इन्टीरियर —प्रो. श्रीकान्त जांगिड, सुलोचना जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को 24.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये चौबिस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 07.11.2014 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **सुलोचना जांगिड** की सम्पत्ति प्लॉट नं. 3 व 4 (35' गुणा 54'), गणपति नगर, चक 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक **30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.07.2018 को जारी करने तथा**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 27.07.2018 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण का हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) के नोटिस की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स एस के इन्टीरियर –प्रो. श्रीकान्त जांगिड, सुलोचना जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी हैं

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पत्ति प्लॉट नं. 3 व 4 (35′ गुणा 54′), गणपति नगर, चक 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3, श्रीगंगानगर **जो ऋणी सुलोचना जांगिड** के नाम से है जो **प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है** का संबध है और जिस संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.07.2018 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2)**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

का नोटिस नियमानुसार जारी किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.07.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स एस के इन्टीरियर –प्रो. श्रीकान्त जांगिड, सुलोचना जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.07.2018 को जारी किये गये है, जिनको भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीदें रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण मैसर्स एस के इन्टीरियर –प्रो. श्रीकान्त जांगिड, सुलोचना जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को धारा 13(2) की तामील के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण का स्वयं का हस्ताक्षशुदा नोटिस की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुलोचना जांगिड की सम्पत्ति प्लॉट नं. 3 व 4 (35' गुणा 54'), गणपति नगर, चक 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **सुलोचना जांगिड** द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 3 व 4 (35' गुणा 54'), गणपति नगर, चक 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3, श्रीगंगानगर का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर